Subject :- Sociology Date :- 13/07/2020
Class :- 12th
Topic :- जाति तथा इसकी विशेषता
By :- Dr. Shyamanand Choudhary
Guest Teacher, Marwari College, Darbhanga
Online Study Material No :- (111)

प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है आदि काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है जाति, प्रथा सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार है पश्चिमी देशों में यदि सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है तो भारत में जाती एवं वर्ण। डा० आर. एन. सक्सेना का विचार है कि जाति हिन्दु समाजिक संरचना का मुख्य आधार रहा है जिससे हिन्दुओं का सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। ए. आर. देसाई का मत है कि जाति भेद गाँव में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है श्रीमती कार्वे का मत है कि यदि हम भारतीय संस्कृती के तत्वों को समझना चाहते है तो पहले जाति को समझना होगा। भारत में जाति प्रथा के महत्व का वर्णन करते हुए डा० डी. एन. मजूमदार ने लिखा है कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है सामान्यतः भारत जातियों एवं सम्प्रदायों की परम्परात्मक स्थली माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कि हवा में भी जाति घुली हुई है तथा यहाँ तक कि मुसलमानों एवं इसाई भी इससे अछुते नहीं बचे जाति कि परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न - भिन्न ढंग से दी है ~~जबकि~~ Majumdar and Madan ने अपनी पुस्तक में जाती की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जाति एक बन्द वर्ग है सी. एच. कुले ने जाति को परिभाषित करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते है इस परिभाषा से मत स्पष्ट होता है कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है कोई भी

व्यक्ति अपने गुणों सम्पत्ति एवं शिक्षा में वृद्धी करके जाति नही बदल सकता व्यक्ति जीवन भर उसी का सदस्य रहता है जिस जाति में वह जन्म लेता है

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते है कि जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान-पान, विवाह पेशा और सामाजिक सहवास संबंधि अनेक प्रतिबंध लागू करता है

जाति की विशेषता निम्नलिखित है-

(I) समाज का खण्डात्मक विभाजन :- भारतीय जाति प्रथा में हिन्दु समाज को अनेक छोटे और बड़े खण्डो मे विभाजित कर दिया है G.S Ghurye का कथन है कि खण्ड विभाजन से तात्पर्य है एक जाति होना सदस्यो की सामूहिक भावना सम्पूर्ण समाज के प्रति न होकर अपनी हि जाति तक सीमित होती है जाति के नैतिक नियमों का पालन करना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है ऐसा न करने पर जाति पंचायत उसे दण्ड देती है.

(II) संस्तरण :- समाज मे सभी जातियों की समाजिक स्थिति सामान्यतः नही होती है उनमे ऊँच नीच उतार-चढ़ाव या संस्तरण पाया जाता है ऊँच नीच की इस व्यवस्था मे ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊँचा होता है और शूद्रो का सबसे नीचा। क्षत्रिय और वैश्य इनके मध्य जाति संस्तरण को मध्यवर्ती जातियों की तुलना मे ब्राह्मणों एवं शुद्रो की स्थिति अधिक स्थिर है

(III) भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध :- जाती व्यवस्था मे जातियों के परस्पर भोजन

एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाये जाते हैं प्रत्येक जाति के ऐसे नियम है कि उसके जाति के सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं इनमें उच्च जातियों के हाथ का बना भोजन निम्न जाति के लोग ग्रहण कर लेते हैं किन्तु शुद्रों के हाथों का भोजन पानी उच्च जाति के लोग ग्रहण नहीं करते हैं।

(4) नागरिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार :- जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है ऊँची जातियाँ अनेक सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक विशेषाधिकारों का उपभोग करती हैं जबकि निम्न जातियों को इन सभी सुविधाओं से वंचित किया जाता है अछूतों को सड़क पर चलने, सार्वजनिक कुओं तालाबों मंदिरों आदि का उपभोग करने की मनाही है।

(5) परम्परात्मक व्यवसाय :- प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित होता रहता है जैसे लोहार को लोहार का कार्य, सुनार को सोना, चाँदी का कार्य, ब्राह्मण को पूजा पाठ का कार्य, नाई को बाल कटाई का कार्य करना होता है।

(6) विवाह सम्बंधी प्रतिबन्ध :- जाति की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह करती है जाति के बाहर विवाह करने वालों को जाति से बाहर कर दिया जाता है।

(7) जन्मजातिगत सदस्यता :- जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता जातिगत

4

होती है एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यन्त उसी जाति का सदस्य बना रहता है अपने जीवन काल में वह अपना जाति नहीं बदल सकता इस प्रकार जाति की अनेक विशेषताएं होती है।

S.N. Choudhary
Marwari college
L.N.M.U

Scanned with CamScanner